कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

F 14(Trans) 2017/FCA/PCCF/CCF-EDS -1 Jaipur Dated 06.03.2018

Rajasthan Viduat Prasaran Nigam Limited, Ajmer के द्वारा अजमेर एवं नागौर जिले के वनमण्डल अजमेर एवं नागौर में CONSTRUCTION 220 KV D/C LINE AJMER BHERUNDA,RAJASTHAN के निर्माण कार्य हेतु वन मंडल **अजमेर की 3.01 है0 एवं वन मण्डल नागौर की 0.91 है0 कुल 3.92 है0** वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए ऑनलाइन आवेदन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव सं. FP/RJ/TRANS/29091/2017 दिनांक 30.10.2017 को रजिस्टर किया गया है। मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के उपरांत प्रस्ताव का परीक्षण किये जाने पर निम्नानुसार टिप्पणी प्रस्तुत है:–

1. उप वन संरक्षक अजमेर के पत्रांक 1585 दिनांक 14.2.2018 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि अजमेर वन मंण्डल के प्रस्तावित वन क्षैत्र में गूगल पर क्षेत्र कम आ रहा है जबकि मौके पर एरिया ज्यादा आ रहा है। उक्त बिन्दु का निराकरण उप वन संरक्षक द्वारा अपने स्तर पर क्यों नही किया गया उक्त समस्या के निराकरण हेतु राजस्व मानचित्र को डिजिटिलाइज्ड कराया जाकर सही स्थिति ज्ञात की जा सकती है। अतः उप वन संरक्षक उक्त का निराकरण कर ही प्रस्तुत किया जावे।
2. यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के फार्म ए के पार्ट 1के बिन्दु संख्या C-b(ii) में नागौर वन मंडल में संलग्न की गई KML file polygon shape में नही है।
3. वन मण्डल अजमेर के पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 4 में छत्र घनत्व 0.6 दर्शाया गया है जबकि प्रस्ताव में पारेषण लाईन के नीचे मात्र दो वृक्ष आना अंकित है जो कि विरोधाभाषी है।
4. वन मण्डल अजमेर में प्रस्ताव में 7.84 है0 हेतु प्रस्तुत की गई क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में नही है एवं स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न नही किया गया है। इसके अतिरिक्त क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण योजना के डी0जी0पी0एस0 मानचित्र में प्रस्तावित वन भूमि के समस्त कानर्स के जी0पी0एस0 कोर्डीनेट्स नही दिये गये है।
5. उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा 1 कि0मी0 दीवार निर्माण चाहा गया है उसकी कितनी राशि होगी एवं उसकी आवयश्कता पर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मय मुख्य वन संरक्षक की टिप्पणी के साथ संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
6. वन मण्डल नागौर के पार्ट ।। के बिन्दु संख्या 4 में छत्र घनत्व 0.6 दर्शाया गया है जबकि प्रस्ताव में पारेषण लाईन के नीचे कोई वृक्ष आना अंकित नही है जो कि विरोधाभाषी है।
7. उप वन संरक्षक नागौर ने 1.82 है0 क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण हेतु स्थल नागौर में दिया गया है जबकि क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण स्थल अजमेर में लिया जा चुका है। अतः इसे हटाया जाना प्रस्तावित है।
8. मुख्य वन संरक्षक अजमेर द्वारा संलग्न किये गये पार्ट ।।। में प्रस्तावित वन क्षैत्र मात्र अजमेर वन मण्डल होना अवगत कराया गया है जबकि प्रस्ताव में अजमेर के अतिरिक्त नागौर वन मण्डल भी सम्मिलित है। अतः संशोधन कर पुनः संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
9. प्रस्तावित वन भूमि के गजट नोटिफिकेशन की प्रति (वन मण्डल अजमेर एवं वन मण्डल नागौर)
10. उप वन संरक्षक नागौर एवं अजमेर द्वारा पारेषण लाईन के नीचे औषधीय पौधो के वृक्षारोपण की राशि नही ली गई है जो लिया जाना प्रस्तावित है।
11. यूजर ऐजेन्सी के द्वारा प्रस्ताव में लिये गये विभिन्न विकल्पों का डिजिटल मेप KML file संलग्न नही किया गया है।

12. उप वन संरक्षक द्वारा यूजर ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत पार्ट । के दसतावेजो को प्रमाणित नही किया गया है।

13. पारेषण लाईन के प्रस्ताव में दीवार निर्माण लिया जाना औचित्यपूर्ण नही है यदि उप वन संरक्षक अतिक्रमण को रोकने के लिए दीवार निर्माण करवाना चाहता है तो उक्त दीवार की मांग कैम्पा/ नरेगा में क्यो नही की गई। इस हेतु उप वन संरक्षक अपनी टिप्पण संलग्न करे।

उक्त सूचना भिजवाने हेतु मुख्य वन संरक्षक अजमेर को निर्देशित किया जाता है।

(D.K. GUPTA)
ACF (FCA)
JAIPUR